

उत्तर प्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3
संख्या 619 /60-3-12-2रिट/08
लखनऊ : दिनांक 09 अगस्त, 2012

कार्यालय-ज्ञाप

अनैतिक व्यापार (निरोधक) अधिनियम, 1956 के अधीन प्राख्यापित उत्तर प्रदेश अनैतिक व्यापार (निरोधक) नियमावली-1993 के नियम-41 के उप नियम-1, 2 एवं 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल महोदय राजकीय संरक्षण गृह, (महिला) वाराणसी के सम्बन्धित सामान्य महत्व के विषयों पर परामर्श आदि प्रदान करने हेतु निम्नलिखित प्रकार से 02 वर्ष हेतु वीक्षक मण्डल (Board of visitors) गठित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

राजकीय संरक्षण गृह, (महिला) वाराणसी-

- 1- जिलाधिकारी द्वारा नामित शासकीय सेवा में कार्यरत - अध्यक्ष ।
वरिष्ठ महिला अधिकारी
- 2- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित शासकीय सेवा में कार्यरत - सदस्य ।
वरिष्ठ महिला पुलिस अधिकारी
- 3- मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नामित शासकीय सेवा में कार्यरत- सदस्य ।
वरिष्ठ महिला चिकित्सा अधिकारी
- 4- डा0 अनीता सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य ।
179, विंध्यवासिनी नगर कालोनी,
वाराणसी ।
मोबाइल-8127222222
- 5- डा0 सुनीता, सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य ।
महात्मा गांधी नेचर क्योर हास्पिटल,
9-योग नगर, महमूर नगर,
वाराणसी ।
मोबाइल नं0-9451965800
- 6- श्रीमती उमा यादव, सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य ।
पत्नी डा0 अशोक यादव,
बी0एस0डब्लू0, एजूकेशनल सोसाइटी,
सी-7/285, सेनपुरा, शांति टावर्स,
चेतगंज, वाराणसी ।
मोबाइल नं0-9453002369

(सदाकान्त)
प्रमुख सचिव ।

संख्या 619(i)/60-3-12-2 रिट/08 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- जिलाधिकारी, वाराणसी ।
- 2- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक , वाराणसी ।
- 3- निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 ।
- 4- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, वाराणसी ।
- 5- मण्डलीय उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, वाराणसी मण्डल ।
- 6- जिला प्रोबेशन अधिकारी, वाराणसी ।
- 7- उद्धार अधिकारी, आगरा मण्डल, वाराणसी ।
- 8- संबंधित सदस्यगण ।
- 9- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(मिश्रीलाल पासवान)
विशेष सचिव ।